



2026:AHC:164348

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 13703 सन् 2026

आलोक अग्रवाल एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : दीपक सिंह यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : कृष्णा कांत दुबे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक सिंह यादव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णा कांत दुबे तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, विद्वान सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 393 सन् 2025 (आलोक अग्रवाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 19.12.2025 के आदेश को अभिखंडित करने हेतु दायर किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने सिविल जज (एसडी), फास्ट ट्रैक कोर्ट, एटा द्वारा परिवाद मामला संख्या 7868 सन् 2024, थाना बाघवाला, जनपद एटा में पारित दिनांक 10.07.2024 के आदेश की पुष्टि की थी।
- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है। आवेदक पूर्व में इस माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 528 आवेदन संख्या 13703 सन् 2026 दाखिल करते हुए पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाहियां अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ था, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.04.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रेषित किया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.04.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के साथ-साथ समझौता आवेदन का सत्यापन कर दिया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदकगण तथा
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी संख्या 2 ने मामले का समझौता कर लिया है तथा विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के (2014) 6 एससीसी 466 में प्रतिवेदित नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, के निर्णय पर भरोसा किया है तथा निवेदन किया है कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपना निजी तथा सिविल विवाद निपटा लिया है तथा इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध उक्त मामले को आग्रहित न किए जाने के रूप में इच्छुक है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के अभियोजन को वापस लेने हेतु तैयार है तथा समझौते को दृष्टिगत रखते हुए, यदि अभियोजन को जारी रहने दिया जाता है तो कोई फलदायी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

5. विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन की शुद्धता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते। उनका निवेदन है कि यदि उक्त मामले में कार्यवाहियां अभिखंडित की जाती हैं तो विपक्षी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपना विवाद निपटा लिया है, अतः आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एससीसी 688 के मामलों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कतिपय संज्ञेय तथा गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शफीउल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2013 (83) एससीसी 278] में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाहियों को दीर्घायत करने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

9. तदनुसार, विद्वान सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 393 सन् 2025 (आलोक अग्रवाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 19.12.2025 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने सिविल जज (एसडी), फास्ट ट्रैक कोर्ट, एटा द्वारा परिवाद मामला संख्या 7868 सन् 2024 में पारित दिनांक 10.07.2024 के आदेश की पुष्टि की थी, एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

10. धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

5 अगस्त, 2026

प्रियंका

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)